राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध अंतरिम जमानत आवेदन संख्या 8439/2024

राकेश पुत्र मोहनराम, उम्र करीब 26 साल, निवासी कानासर, पुलिस थाना बाप, जिला फलोदी (राजस्थान)

(वर्तमान में सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विशाल शर्मा
श्री अशोक खिलेरी के लिए

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री लक्ष्मण सोलंकी, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

09/07/2024

1. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी बहन निरमा की शादी के आधार पर उसे 40 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए तत्काल अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया गया है।

2. इस अंतरिम जमानत आवेदन को दायर करने के लिए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन बाप, जिला जोधपुर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/15 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए पंजीकृत एफ.आई.आर. संख्या 34/2023 में शामिल है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की बहन निरमा का विवाह 10.07.2024 को होने वाला है और अपनी बहन की शादी की रस्मों में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता का घर पर मौजूद होना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है।

उन्होंने अदालत का ध्यान याचिकाकर्ता की बहन के शादी के निमंत्रण कार्ड और अन्य दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के अदालत के अधिकार क्षेत्र से भागने की कोई संभावना नहीं है। अंत में, उन्होंने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को 40 दिनों के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अंतरिम जमानत दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के भागने और फरार होने की संभावना है। याचिकाकर्ता अपनी बहन की शादी की आड़ में हिरासत से बचना चाहता है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

5. आवेदक के विद्वान वकील, विद्वान सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी बहन निरमा की शादी में शामिल होने के आधार पर तत्काल अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया गया है।

7. याचिकाकर्ता की बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत देने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जब आवेदक पर ड्रग तस्करी जैसे आपराधिक आरोप लंबित हैं। आवेदक को हिरासत में रखने से यह सुनिश्चित होता है कि जब वह उक्त शादी में शामिल होगा, तो किसी भी संभावित जोखिम को कम किया जा सकेगा। उक्त उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत देने से आवेदक के न्याय से भागने की संभावना के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता की बहन के अन्य भाई भी हैं जो विवाह की रस्में निभा सकते हैं और याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के हितों के साथ-साथ विवाह की रस्में एक साथ निभाने के मद्देनजर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

9. इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।